

समस्त डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)वाणिज्य कर  
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर ।  
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी

शासन द्वारा अधिसूचना सं0-01/2010/19(120)/XXVII(8)/2009/दिनांक 01-  
जनवरी, 2010 जारी करते हुये उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम-2005 की "अनुसूची-II(ख) में  
क्रमांक 139 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्-  
"140. घी (देशी)" में संशोधन करते हुये अवगत कराया गया है ।

शासन द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति संलग्न करते हुये इस निर्देश के  
साथ प्रेषित है कि शासन के दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें ।

संगलन-उपरोक्तानुसार ।


(एल0एम0पन्त)  
आयुक्त कर  
उत्तराखण्ड ।

पू0प0सं0 4279 /दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रानगर, देहरादून ।
3. अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी ।
4. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून/कुमायूँ जोन, रुद्रपुर ।
5. एडिशनल कमिश्नर(आडिट/प्रवर्तन)वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
6. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/ हल्द्वानी को  
इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने  
अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों /व्यापारी संगठनों के  
अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
7. ज्वाइंट कमिश्नर(अपील)वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी ।
8. ज्वाइंट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन)वाणिज्य कर, हरिद्वार/रुद्रपुर ।
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से  
प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने का  
कष्ट करें ।
10. श्री राकेश वर्मा, महासचिव उत्तराखण्ड वाणिज्य कर सेवा संघ 225 आर्शावाड इल्कलैव  
देहरादून ।
11. पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल एन0आई0सी0, 4 सुभाष रोड देहरादून ।
12. संख्या-अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार  
प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दें ।
13. इन्ट्रानेट ईन्फो प्रा0लि04, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13, आर0सिधुआ मार्ग मुम्बई-400001 ।
14. नेशनल लॉ हाउस बी-2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद ।
15. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस-15/5 राजनगर गाजियाबाद ।
16. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्र कम्पाउण्ड राजनगर, गाजियाबाद ।

17. डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्याय0काय0)वाणिज्य कर,नैनीताल।
18. अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून ।
19. दी होलसेल डीलर्स एसो0 14,आदत बाजार देहरादून।
20. प्रांतीय इण्डस्ट्रीज एसो0 222/5 गॉंधी ग्राम,देहरादून।
21. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
- 22-विधि-अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

  
आयुक्त कर,  
उत्तराखण्ड।



उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

सं० /2010/19(120)/XXVII(8)/2009

दिनांक:: देहरादून :: ०१ जनवरी, 2010

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II(ख) में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

अनुसूची-II(ख) में क्रमांक 139 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी; अर्थात्-

"140.घी (देशी)"

(राधा रतूड़ी)  
सचिव, वित्त।

सं० ०१ /2010/19(120)/XXVII(8)/2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि कृपया अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस अनुरोध सहित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 250-250 प्रतियाँ वित्त अनुभाग 8 में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3-गार्ड फाइल हेतु/ एन0आई0सी0।

8066  
FI-10

वि. १६  
अनुभाग  
आवश्यक कार्यवाही करें

अपर आयुक्त कर  
उत्तराखण्ड देहरादून  
DT/ New Vigyapti/ Desi Ghee

आज्ञा से,  
(सी0एस0समवाल)  
अपर सचिव, वित्त।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification NO. 01/2010/19(120)/XXVII(8)/2009 dated 01 January, 2010 for general information.

Uttarakhand Shasan  
VITTA ANUBHAG-8  
N.O. 01/2010/19(120)/XXVII(8)/2009  
Dehradun :: Dated: : 01 January, 2010


**Notification**

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) Adaptation and Modification Order, 2007 (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in Schedule- II (B) of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005.

**Amendment**

In Schedule- II (B), after the existing entry at serial no. 139, the following entry shall be added; namely-  
"140. Ghee(Desi)."

  
(RADHA RATURI)  
SECRETARY, FINANCE.